राष्ट्रपति मुर्मू से मिली बैगा बालिकाएं

भेट की गोंडी पेंटिंग: 30 छात्रों के साथ ही 6 सदस्यीय शिक्षक दल रहे शामिल

अनूपपुर, नवभारत। विकास खंड पुष्पराजगढ़ के ग्राम पोंड़की में संचालित मां शारदा कन्या विद्यापीठ की छात्राओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। इस दौरान विद्यालय की 30 छात्रों के साथ ही 6 सदस्यीय शिक्षक दल उपस्थित रहे।

विद्यालय की छात्राओं से मिलते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने उनसे शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी ली।

शैक्षणिक गतिविधियों के साथ ही विद्यालय में छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए आयोजित की जा रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी शिक्षकों ने राष्ट्रपति को दी। विद्यालय की छात्राओं द्वारा बनाई गई गोंडी पेंटिंग राष्ट्रपति को भेंट की गई। बैगा बालिकाओं का दल रविवार की शाम अनूपपुर पहुंचा।

बैगा बालिकाओं को नि: शुल्क शिक्षा देती है संस्था

मां शारदा कन्या विद्यापीठ स्थानीय बैगा बालिकाओं को नि: शुल्क शिक्षा प्रदान करती है। जहां प्रतिवर्ष 100 छात्राओं को शिक्षित किया जाता है। यह विद्यालय आवासीय विद्यालय है। विद्यालय के संस्थापक स्व. डॉ. प्रवीर सरकार मुख्य रूप से कोलकाता के रहने वाले थे। नर्मदा परिक्रमा के लिए अमरकंटक आए थे। यहां के बैगा ग्रामीणों की स्थिति को देखते हुए उन्होंने यहां विद्यालय प्रारंभ किया था। बैगा बालिकाओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से इस विद्यालय को 1995 में प्रारंभ किया गया था।

दुष्कर्म के आरोपी को जीवनकाल तक कारावास

नाबालिक का अपहरण, दुष्कर्म एवं धर्म परिवर्तन कराना चाहता था आरोपी

अनूपपुर, नवभारत। विशेष न्यायालय (अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम) रविन्दर सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर की न्यायालय ने थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध की धारा 363, 363ए, 376(2)एन, 5एल/6 पॉक्सो एक्ट, 3(2)5 एससी एसटी एक्ट, 3(1)डब्ल्यू, एससी एसटी एक्ट तथा म.प्र. धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के आरोपी 35 वर्षीय असगर अली पिता सैय्यद ताजुद्दीन अली निवासी पुरानी बस्ती अनूपपुर को शेष प्राकृत जीवनकाल तक के लिये आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं साथ 1 लाख 33 हजार रूपये के जुर्माने का आदेश दिया हैं। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक हेमन्त अग्रवाल द्वारा की गई।

प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने सोमवार को बताया कि 10 जून 2021 को 16 वर्ष 05 माह की नाबालिग बालिका के लापता हो जाने पर पिता द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध थाना कोतवाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाई। अन्वेषण के दौरान घटना के लगभग 50 दिन पश्चात पीड़िता के मिलने पर पीड़िता ने बताया कि आरोपी असगर शादी का झांसा देकर अंबिकापुर ले गया और वहां उसके साथ उसने कई बार बलात्कार किया और धर्म परिवर्तन कराए जाने की बात कहीं, जिसके आधार पर प्रकरण में अपराध से संबंधित धाराओं को बढ़ाने तथा पीड़िता सहित साक्षियों के कथन लेखबद्ध कर आवश्यक वैज्ञानिक साक्ष्य का संकलन कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया गया।

प्रकरण की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने और अभिलेख पर आए समस्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई गई।

वहीं घटना के समय पीड़िता 16 वर्ष की बालिका थी, जबकि आरोपी 35 वर्ष का था, जिस पर न्यायालय ने दंड के साथ पीड़िता के पुर्नवास के लिये प्रतिकर दिए जाने निर्देशित किया,साथ ही अपराध में प्रयुक्त बाईक को विक्रय कर राशि को भी राजसात किये जाने का आदेश दिया।

> आरोपित को अलग-अलग धाराओं में शेष प्राकृत जीवनकाल तक के लिये आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं। जिसम धारा 363 में 2 वर्ष 2हजार, 363 ए भादवि में 5 वर्ष 5 हजार, 376(2)एन भादवि एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में शेष प्राकृत जीवन काल तक आजीवन कारावास व 50 हजार, 3(2)5 एससी एसटी एक्ट में आजीवन कारावास व 25हजार, 3(1)डब्ल्यू एससी एसटी एक्ट में 1 वर्ष व 1 हजार तथा म.प्र. धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में 2 वर्ष एवं 50 हजार के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड के दंड से दंडित किया गया। 1 अगस्त को गिरफ्तारी से अभी तक न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध था।

कुत्तों के हमलों से घायल चीतल ने तोड़ा दम

अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ अंतिम संस्कार

अनूपपुर, नवभारत। जिले के वन परिक्षेत्र जैतहरी अंतर्गत पोडी बीट के ग्राम सिंघौरा में सोमवार की सुबह जंगल में विचरण कर रहे नर चीतल आवारा कुत्तों ने दौड़ा कर हमला करते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया। चीतल अपनी जान बचाने के लिए भाग कर पास के गेहूं के खेत में छुप गया। चीतल के घायल होने की जानकारी वन परिक्षेत्र वेंकटनगर वनकर्मीयों एवं वन्यजीव संरक्षक शशिधर अग्रवाल को मिली मौके पर पहुंच कर प्रारंभिक उपचार की कार्यवाही की जा रही थी, तभी चीतल ने दम तोड़ दिया। जिस पर चीतल का अंतिम संस्कार कर दिया गया।

वन्यजीव संरक्षक अनूपपुर शशिधर अग्रवाल ने बताया कि वन परिक्षेत्र जैतहरी अंतर्गत पोड़ी बीट के ग्राम सिंघौरा में सोमवार की सुबह जंगल में विचरण कर रहे नर चीतल आवारा कुत्तों ने दौड़ा कर हमला करते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया। चीतल अपनी जान बचाने के लिए भाग कर पास के गेहूं के खेत में छिप गया। इसकी जानकारी होने पर रामसुरेश शर्मा, बीट प्रभारी पोंडी तरुण सिंह मसराम एवं वनरक्षक, सुरक्षाश्रमिको ने वनविभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दे प्रारंभिक उपचार कर रहें थे तभी घायल चीतल ने दम तोड़ दिया। जिसके बाद वन डिपो जैतहरी में पशु चिकित्साक से पोस्ट मार्डम कराने बाद एसडीओ वन अनूपपुर पी.के. खत्री, नायब तहसीलदार जैतहरी धनीराम सिंह, वन्यजीव संरक्षक अनूपपुर शशिधर अग्रवाल, वन परिक्षेत्र अधिकारी अनूपपुर एवं जैतहरी स्वर्णगौरव सिंह, विवेक मिश्रा सहित अन्यर लोगो की उपस्थिति में चीतल का अंतिम संस्कार किया गया।

चौराहों पर मतदाता जागरूकता अभियान

जबलपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जबलपुर महानगर द्वारा शहर के विभिन्न चौराहों पर स्लोगन के माध्यम से लोगों के सामने मतदान के लिए आवाहन किया व आगामी होने वाले चुनाव में मतदान करने के लिए आग्रह किया। जिसमे प्रमुख रूप से महानगर सह मंत्री अनमोल मिश्रा जानवी पंजवानी, आर्यन पुंज,शोभित मिश्रा, शोभित मिश्रा, प्रफुल्ल तिवारी,दिव्यांक पचौरी,आशुतोष पटेल,केडी तिवारी, सत्यम पटेल, आदि प्रमुख कार्यकर्त्ता उपस्थित रहे।

निर्वाचन के संबंध में सेक्टर, कम्युनिकेशन तथा रनर टीम को कलेक्टर ने दिए निर्देश

अनूपपुर, नवभारत। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष वशिष्ठ ने लोकसभा निर्वाचन के मतदान दिवस 19 अप्रैल के संबंध में सेक्टर अधिकारियों, कम्युनिकेशन टीम की अलग-अलग बैठक लेकर निर्वाचन दायित्वों के संबंध में दिशानिर्देश दिए।

बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तन्मय वशिष्ठ शर्मा, सहायक कलेक्टर महिपाल सिंह गुर्जर सहित निर्वाचन से संबंधित अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।

बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष वशिष्ठ ने सेक्टर अधिकारियों को सामग्री वितरण के दौरान जिम्मेदारी से अपने दायित्व का निर्वहन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सेक्टर अधिकारी मतदान दलों को निर्धारित रूट से मतदान केन्द्रों तक पहुंचाकर जिला निर्वाचन कार्यालय को ओके रिपोर्ट देंगे। सेक्टर अधिकारियों को सामग्री वितरण तथा सामग्री जमा करने के दौरान मतदान दलों के साथ समन्वय कर सावधानीपूर्वक सामग्री का उठाव व जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मतदान केन्द्रों में ईव्हीएम, व्हीव्हीपैट के तकनीकी समस्या आदि के संबंध में सेक्टर अधिकारी तत्काल दल से समन्वय सुनिश्चित करते हुए मास्टर ट्रेनर व बेल के इंजीनियर से सम्पर्क स्थापित कर समस्या का समाधान सुनिश्चित कराएंगे।

निर्वाचन के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशानुसार सभी कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कम्युनिकेशन टीम को मतदान दलों से समन्वय के निर्देश

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष वशिष्ठ ने कम्युनिकेशन टीम को प्रो-एक्टिव होकर मतदान केन्द्रों में मतदान दलों के पहुंचने तथा मतदान दिवस के दिन मॉकपोल प्रारंभ, समाप्ति तथा मतदान प्रारंभ होने की जानकारी का समन्वय से अदान-प्रदान निर्धारित समय पर किया जाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कम्युनिकेशन टीम को 18 अप्रैल को कम्युनिकेशन से संबंधित सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कम्युनिकेशन टीम को सेक्टर अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, बीएलओ तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारियों से समन्वय कर जानकारी प्राप्त कर रिपोर्टिंग के निर्देश दिए। ईव्हीएम की खराबी की जानकारी तत्काल प्रदान की जाए। जिससे समय पर समस्या का निदान सुनिश्चित किया जा सके।

एक नजर में

डूमर कछार में उत्सव के रूप मे मनाया गया 100 प्रतिशत मतदान मेरा अधिकार पर्व

अनूपपुर, नवभारत। नगर परिषद डूमरकछार अंतर्गत समस्त मतदान केन्द्रो मे 14 अप्रैल को 100 प्रतिशत मतदान मेरा-अधिकार पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम मे मतदान केन्द्र सजावट, रंगोली, दीपप्रज्वलन, मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा द्वारा मतदाताओं को शत-प्रतिशत मतदान करने के लिए शपथ दिलाया गया। कार्यक्रम मे निर्वाचित जनप्रतिनिधि वरिष्ठजन, दिव्यांग एवं युवाओ सहित मतदाताओं की सहभागिता रही। इस अवसर पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा, लेखापाल रजनीश प्रसाद शुक्ला, उपयंत्री शिवराम इडपाचे, परिषद के कर्मचारी जयकांत मेहता, अखिलेश सिंह परिहार, सत्येंद्र चौहान, तीरथ पनिका, चंद्रशेखर जायसवाल, हरीश सिंह, अजय राम, महेश यादव, रामप्रसाद जायसवाल, विवेक मिश्रा, विशाल महतो,अमित जायसवाल, शत्रुंजय पांडेय, मुन्नापाल, विक्रम सिंह, पवन गौतम, एजाज अहमद, पंकज चतुर्वेदी, प्रवीण शर्मा, विजय यादव, त्रिलोकीनाथ राय, उत्तम कोल, बीएलओ गौरव महाता, मोहन लाल टांडिया, नरेंद्र देवांगन, ऋषि रजक, रामलल्लू गुप्ता, परदेसी रजक, रामनारायण गुप्ता, राजेंद्र विश्वकर्मा, बृजेश सिंह, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यशोदा सिंह, बेबी राव, मोतीन देवी, प्रेमवती गुप्ता, लीना सिंह, प्रभा पाठक, पुष्पा साहू, सुनीता मिश्रा सहित नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

संकट मोचन हनुमान मंदिर में नवपरायण यज्ञ हवन

जबलपुर। उप नगरीय क्षेत्र गढ़ा के संकट मोचन हनुमान मंदिर चंदन कॉलोनी गंगानगर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के प्रकटोत्सव को धूमधाम से यादगार रूप में मनाने की तैयारियां जोरों से जारी है। मंदिर के पुजारी पंडित अशोक शास्त्री ने बताया कि श्रीराम हनुमान मंदिर चंदन कॉलोनी में गत एक वर्ष से अखंड श्री रामचरितमानस का पाठ जारी है। इसके अलावा इस वर्ष भी प्रतिवर्ष अनुसार नव पारायण यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है , जिसका समापन रामनवमी के दिन होगा और भगवान राम का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा । मंदिर समिति के अध्यक्ष सत्येंद्र यादव एवं खेम सिंह ठाकुर अमित महोबिया चिंटू साहू आदि ने सभी क्षेत्रीय श्रद्धालु भक्तों से प्रतिदिन मंदिर प्रांगण में पहुंचकर यज्ञ में सम्मिलित होने और धर्म लाभ लेने की अपील की है ।

किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल तथा परिणाम का प्रकाशन या प्रचार 19 से एक जून तक प्रतिबंधित

अनूपपुर, नवभारत। लोकसभा निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया है कि आदर्श आचार संहिता के दौरान 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से एक जून की शाम 6.30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार-प्रसार करने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 28 मार्च को इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन के दौरान सभी मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलों के प्रदर्शन पर भी पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।

उल्लेखनीय है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क में यह प्रावधानित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान, जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार भी नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी।

मतदान के 48 घंटे पहले प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को कराना होगा पूर्व प्रमाणित

अनूपपुर, नवभारत। लोकसभा आम निर्वाचन के तहत मध्यप्रदेश में होने वाले चार चरणों में मतदान के 48 घंटे पहले प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणित कराना होगा। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश भी जारी किए गए हैं। मध्यप्रदेश में लोकसभा निर्वाचन के लिए पहले चरण में शहडोल संसदीय क्षेत्र के लिए 19 अप्रैल को मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रिंट मीडिया में मतदान की तिथि व मतदान से पूर्व दिवस पर (अर्थात् 18 एवं 19 अप्रैल 2024 को) प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। प्रिन्?ट मीडिया में प्रकाशन के लिए विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणन के लिए आवेदकों को मतदान के दिन और मतदान से पूर्व दिवस पर विज्ञापन के प्रकाशित होने की प्रस्तावित तिथि से दो दिन पहले मीडिया सर्टिफकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) को आवेदन देकर पूर्व प्रमाणन कराना होगा।

अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ ने मनाया स्थापना दिवस

भारतीय संविधान व अंबेडकर आदि विषयों पर हुई परिचर्चा

अनूपपुर, नवभारत । प्रलेस अनूपपुर ने 14 अप्रैल को एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें प्रलेस के स्थापना दिवस के साथ ही फ़िलिस्तीनी मुक्ति संघर्ष तथा भारतीय संविधान और अंबेडकर आदि विषयों पर परिचर्चा हुई ।

यद्यपि अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 9 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुई थी लेकिन 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती थी अत: यह कार्यक्रम 14 अप्रैल के लिए तय किया गया ।

प्रगतिशील लेखक संघ के स्थापना की योजना सन् 1935 में लंदन के एक रेस्टोरेंट में बनी जब वहाँ पर सज्जाद ज़हीर, मुल्कराज आनंद, प्रमोद रंजन सेन गुप्ता, मुहम्मद दीन तासीर ज्योतिर्मय घोष, हाजरा बेगम तथा उनके कुछ अंग्रेज मित्रों ने गहन मंथन किया और प्रगतिशील लेखक संघ का एक प्राथमिक खाका तैयार किया । सज्जाद ज़हीर जब लंदन से भारत वापस लौटे तो उन्होंने कई प्रदेशों का दौरा कर वहाँ के लेखकों से संपर्क किया और प्रेमचंद से मंत्रणा कर के लखनऊ में 9 और 10 अप्रैल 1936 को एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई जिसमें प्रेमचंद ने अध्यक्षता की इसमें सज्जाद ज़हीर,मुल्कराज आनंद , कन्हैया लाल मुंशी सहित कई प्रसिद्ध लेखकों ने हिस्सा लिया पर कुछ बड़े लेखक इससे दूर रहे । निराला और रामविलास शर्मा लखनऊ में उपस्थित थे फिर भी इस कार्यक्रम में नहीं आए , जैनेंद्र कुमार को ज़रूर प्रेमचंद उस बैठक में ले गए पर इसके बाद जैनेन्द्र हमेशा ही इस संघ से दूर रहे ।

प्रेमचंद के अध्यक्षीय भाषण से प्रभावित होकर तमाम लेखकों ने इसकी सदस्यता ली और इस तरह से इसका गठन हुआ। प्रलेस का यह कार्यक्रम मंदाकिनी होटल में सायं 4 बजे से प्रारंभ हुआ । इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की आसंदी से बोलते हुए इप्टा के राष्ट्रीय सचिव शैलेंद्र ने कहा कि 卐आज हम काफ़ी विषम परिस्थितियों में जी रहे हैं , राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति का पैमाना बदल दिया गया है ।

सजा शव छिपाने में सहयोग करने वाले साले को 5 वर्ष का सश्रम कारावास

पति की हत्या कर भाई के साथ मिलकर छिपाया शव, पत्नी को आजीवन कारावास

अनूपपुर, नवभारत। अपर सत्र न्यायाधीश पवन शंखवार की न्यायालय के थाना अमरकंटक के अपराध की धारा 302, 201 भादवि के आरोपी 32 वर्षीय देवन्तीबाई पति सुखराम सिंह एवं 27 वर्षीय शिवकुमार पुत्र अंगद सिंह धुर्वे दोनों निवासी ग्राम ग्राम पमरा, बांधाटोला को सजा सुनाई हैं। जिसमे देवन्तीबाई को आजीवन कारावास एवं 3 हजार रूपये अर्थदंड, शिवकुमार को 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई हैं। देवन्तीबाई को दो धाराओं में धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास के साथ 2 हजार अर्थदंड एवं धारा 201 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास सहित 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड कुल मिलाकर आजीवन कारावास एवं 3 हजार रूपये अर्थदंड एवं शिवकुमार को धारा 201 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किए जाने का आदेश दिया है। पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा द्वारा की गई।

वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने सोमवार को जानकारी देते बताया कि घटना 27 दिसम्बर 2021 को रविकेश्वर सोनी ने दुआरी घाटा बंजारी मंदिर के पास बिलासपुर जंगल रोड के किनारे गड्ढे में अज्ञात व्यक्ति की शव मिलने की सूचना थाना अमरकंटक को दी, जिस पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर अज्ञात व्यक्ति का शव अधजली अवस्था में पडा हुआ था, पैर बंधे हुए थे तथा दाहिने आंख कनपटी और मुंह में चोट थी, सिर के बाल व चेहरा जला हुआ था। जिस पर थाना अमरकंटक में अज्ञात व्यक्ति के विरूद्व धारा 302, 201 भादवि पंजीबद्व की गई। विवेचना के दौरान शव से प्राप्त कपडे को देख मृतक की पत्नी देवंतीबाई ने शव को अपने पति सुखराम का होना बताया, जिस संबंध में पहचान पंचनामा तैयार किया गया। रामसिंह मार्को का कथन लेखबद्व किया गया। संदेह पर देवंतीबाई से पूछताछ पर पति सुखराम की हत्या करना व शिवकुमार के साथ मिलकर शव को वाहन से दुआरीघाट ले जाकर शव के चेहरे पर कपड़ा रखकर जलाना बताया। शिवकुमार से पूछताछ पर देवतीबाई के साथ मिलकर शव को छिपाना बताया। समस्त विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां न्यायालय द्वारा दोनो आरोपियों के विरूद्व मामला प्रमाणित पाये जाने पर सजा सुनाई गई।

समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य 15 मई तक, स्लॉट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध

अनूपपुर, नवभारत। जिले में रबी विपणन वर्ष 2024-25 अंतर्गत समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य 29 मार्च से 15 मई तक एफएक्यू गेहूँ समर्थन मूल्य 2275 रुपये तथा बोनस 125 रुपये प्रति क्विंटल कुल 2400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी किया जा रहा है। जिले में 6 गेहूँ उपार्जन केन्द्र क्रमश: अनूपपुर-तुलसी वेयर हाउस मेड़ियारास, पटनाकला में मॉ शारदा वेयर हाउस बीओटी-2 बरबसपुर, बिजुरी-बतुल वेयर हाउस कोतमा, फुनगा-एस. डब्ल्यूसी. गोदाम पयारी, जैतहरी-समिति कार्यालय जैतहरी एवं राजेन्द्रग्राम- समिति मुख्यालय राजेन्द्रग्राम में स्थापित किए गए हैं। शासन द्वारा पंजीकृत किसानों को एसएमएस भेजकर उपज क्रय की व्यवस्था में बदलाव करते हुए स्लॉट बुकिंग के माध्यम से उपज विक्रय की व्यवस्था की गई है। इसके लिए पंजीकृत किसानों द्वारा उपार्जन केन्द्र में उपज विक्रय हेतु स्वयं के मोबाईल, एम.पी. ऑनलाईन, कियोस्क सेन्टर, इंन्टरनेट कैफे, उपार्जन केन्द्र से स्लॉट बुकिंग की जा सकेगी। स्लॉट बुकिंग हेतु कृषक के ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत मोबाईल पर ओटीपी प्रेषित किया जाएगा, जिसे पोर्टल पर दर्ज करना होगा। उक्त स्लॉट बुकिंग 7 कार्य दिवस के लिए वैध होगा। किसान अपनी इच्छा व उपलब्धता अनुसार उपज विक्रय हेतु किसी भी उपार्जन केन्द्र का चयन कर सकते हैं। वर्षा एवं ओलावृष्टि के कारण गेहूं की फसल प्रभावित (लस्टर लॉस) हो जाने के कारण समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन में 0 से 30 प्रतिशत तक लस्टर लॉस हो जाने के कारण (चमकविहीन) वगैर वल्यूकट के उपार्जन करने की अनुमति प्रदान की गई है।